आदेश पत्रक

(नियम 13)

(General (Civil), Rule 103, Appendix 'B', Form No. 9)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी नीमकाथाना (राज.)

जगदीप सिंह **बनाम** अजीत सिंह आदि

किस्म मुकदमा दावा विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा नम्बर 130/2025 सन्

आदेश	कार्यवाही विवरण	अनुपालना के क्रमांक व दिनांक
1.08.25	दावा वादी जरिये वकील पेश किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण को सम्मन जारी हो। पत्रावली वास्ते तलबी हेतु दिनांक 1.09.25 को पेश हों। उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी (झुन्झुनूँ)	
01.09.25	पत्रावली पेश हुई। प्रति सं. 1,4,6,8,10,12 बाद तामिल अनुपस्थित रहने पर रूबरू विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रति सं. 2,3,5,7,9,11,12,13 की तामिल अदम प्राप्त हुई। पत्रावली वास्ते अस्थालतब पते के साथ पेश करने मुन्दा। तलबी प्रति सं. 2,3,5,7,9,11,12,13 भेजी दिनांक 25/9/25 को पेश हो।	
25/9	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित। पीठासीन अधिकारी महोदय वी. सी./जनसुनवाई/बैठक/आर. ओ. बैठक/राजकार्य में व्यस्त है। पत्रावली वास्ते गत-आदेशानुसार दिनांक 4/11/25 को पेश हो। रीडर	
14/10/25	पत्रावली पेश हुई। पत्र निशाल तलबी पेश होने पर वादी/प्रार्थी ने उपस्थित होकर जाहिर किया कि वे प्रकरण को आगे नहीं चलाना चाहते तथा इसी स्तर पर खारिज/नोट प्रेस खारिज करवाना चाहते है तथा इस आशय के आवेशिका पर हस्ताक्षर किये। फलस्वरूप प्रकरण को इसी स्तर पर खारिज/नोट प्रेस में खारिज किया जाता है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा दाखील दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी	Noted 14/10/25